

प्रेस नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 15.03.2023

अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब बनाने व विक्री करने वाला गैंगलीडर, गैगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 405/2022 धारा 3 (1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त जितेन्द्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पुत्र अम्बिका सिंह निवासी बेलडाड़ थाना खजनी जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जितेन्द्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पुत्र श्री अम्बिका सिंह निवासी बेलडाड़ थाना खजनी जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 405/2022 धारा 3 (1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना खजनी गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 35/2022 धारा 60 (2) आब0 अधि0 व 272, 273 भादवि थाना खजनी गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 053/2018 धारा 60/63 आब0 अधि0 व 272, 273 भादवि थाना खजनी गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 164/2014 धारा 60/63 आब0 अधि0 थाना खजनी जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 025/2014 धारा 60/63 आब0 अधि0 व 272 भादवि थाना खजनी गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा थाना खजनी जनपद गोरखपुर
2. का0 रामबाबू यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर
3. का0 अवधेश यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर
4. का0 विमलेश राम थाना खजनी जनपद गोरखपुर